

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-8  
संख्या-4205/नौ-8-16-168ज/2016  
लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

**शुद्धिपत्र**

आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1495आ.न.यो./9-8-2016-39आ.न.यो.(बजट)/2016 दिनांक 07.11.2016 द्वारा नगर पालिका परिषद-बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर एवं नगर पालिका परिषद-अतर्रा, जनपद-बांदा को द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 75.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है एवं पूर्व में भी शासनादेश संख्या-1495आ.न.यो./9-8-2016-39आ.न.यो.(बजट)/2016 दिनांक 20.10.2016 द्वारा नगर पंचायत-मैलानी, जनपद-लखीमपुर खीरी एवं नगर पंचायत-देवा, जनपद-बाराबंकी को द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 170.00 लाख निर्गत किये गये हैं। दोनों शासनादेशों की एक ही संख्या होने के कारण आनलाइन धनराशि निकायों के खाते में स्थानान्तरित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

2. अतः आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1495आ.न.यो./9-8-2016-39आ.न.यो.(बजट)/2016 दिनांक 07.11.2016 द्वारा नगर पालिका परिषद-बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर एवं नगर पालिका परिषद-अतर्रा, जनपद-बांदा को द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 75.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी धनराशि से सम्बन्धित “शासनादेश संख्या-1495आ.न.यो./9-8-2016-39आ.न.यो.(बजट)/2016 दिनांक 07.11.2016” के स्थान पर “शासनादेश संख्या-1891आ.न.यो./9-8-2016-39आ.न.यो.(बजट)/2016 दिनांक 07.11.2016 पढ़ा जाय।”

3. शासनादेश दिनांक 07.11.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4. शासनादेश दिनांक 07.11.2016 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

उमाशंकर सिंह  
विशेष कार्याधिकारी।

**संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्यय)अनुभाग-1,2
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

( उमाशंकर सिंह )  
विशेष कार्याधिकारी।